न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/33

1. हरबंश पुत्र सुरजन जाति गुर्जर निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए उप तहसीलदार, सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 12.02.2024 उनवानी प्रकरण हरबंश बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या संख्या 30/2021 व उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 15.02.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरबंश प्रकरण संख्या 23/2021

उपस्थित–
1. श्री पदम सिंह गुर्जर, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 12.02.2024 एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 15.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 15.02.2021 को वाके ग्राम गावंडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.12 है0 पर सम्वत 2077 रबी में अतिक्रमण कर काश्त करने पर अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर, 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुये फसल नीलामी करने के आदेश पारित कर दिये एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.02.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 12.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा दिनांक 15.02.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 12.02.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका ही नहीं दिया जबकि कानूनन पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया न ही काश्त की तथा अधिनस्थ तहसीलदार के यहां जो पटवारी हल्का ने रिपोर्ट दी है। उसमें भी यह अंकित नहीं किया कि अपीलान्ट ने किस चीज की काश्त की है। इसके बावजूद भी हरदो न्यायालय ने अपीलान्ट को सजा से दंडित करने के अवैध आदेश पारित किये हैं। हरदो न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत न होते हुए भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का की रिपोटे भी प्रदर्शित नहीं हुई है बिना प्रदर्शित हुये कानून में उक्त दस्तावेज पढे जाने योग्य ही नहीं था तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक व मनमाना होने के कारण निरस्त होने योग्य था परन्तु अधिनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इस महत्वूर्ण बिन्दू पर कोई विचार ही नही किया और अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा व निर्णय दिनांक 12.02.2024 व उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 15.02.2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गांवडी में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 59 के रकबा 0.12 है0 पर चना की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की कैफीयत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। जिस पर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में अपीलान्ट का बेदखलीनामा, फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की जानी वाली कार्यवाही Summary Proceeding है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 15.02.2021 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पटवारी हल्का मरियाडा उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष इस आशय के पेश की गई कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 59 रकबा 0.12 है0 पर सम्वत 2077 रबी में अतिक्रमण कर काश्त कर ली है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 15.02.2021 पारित कर अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुये फसल निलामी करने एवं अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा पूर्व में सम्वत 2076 में भी अतिक्रमण किया गया था जिसको बेदखल किया जाना अंकित किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में त्रुटि नहीं होने के कारण कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है।

 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय सिवायचक भूमि पर संवत 2076 के समय से अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात पुनः राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर